105

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 [illegible] -II-15

[illegible] 3/7/15

[illegible] पुत्र [illegible] ——आवेदक

विरूद्ध

[illegible] ——अनावेदक

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 3635/14 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.4.15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 29.4.15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 29.4.15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 3635/14 पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

प्रार्थी [illegible]

दिनांक

स्थान–ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रेस्टो. 2080–दो / 2015 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा रेस्टो0 के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 3635–एक / 12 में आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में दिनांक 29–4–15 को अदम पैरवी में हुये आदेश को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु आवेदन 3–7–15 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी में पेशी दिनांक 29–4–15 को अनुपस्थिति का कोई कारण अपने आवेदन में नहीं दर्शाया है और न ही रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत करने में हुये बिलम्ब का कारण दर्शाया है। दर्शित परिस्थितियों में यह रेस्टोरेशन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	